राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या 1935, 1936 व 1937 /2014.....जिला.....जोधपुर।.....

उनवान–मैसर्स श्रीराम डिजीटल फोटो लैब, जोधपुर बनाम् स.वाक.अ., घट–पंचम, वृत्त–डी, जोधपुर।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25.11.2014	**एकलपीठ** **श्री मदन लाल, सदस्य** अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से उक्त तीन अपीलें अपीलीय प्राधिकारी, जोधपुर–प्रथम, वाणिज्यिक कर, जोधपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित पृथक्–पृथक् आदेश दिनांक **20.10.2014**, जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 38(4) के तहत् पारित किये गये हैं, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं तथा जिनमें स.वा.क.अ., घट–पंचम, वृत्त–डी, जोधपुर (जिसे आगे "निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा अधिनियम के तहत् क्रमशः निर्धारण वर्ष **2009–10, 2010–11 व 2011–12 के लिये पारित पृथक्–पृथक् निर्धारण आदेश दिनांक 22.09.2014** के जरिये कायम की गयी मांग राशि में से क्रमशः रू. 51,419/–, रू.31,435/– व रू.44,642/– के विरूद्ध प्रस्तुत रोक आवेदन पत्रों को अपीलीय अधिकारी द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार करने को विवादित कर, सुनवायी के दौरान क्रमशः **रू.49,861/–, रू.30,408/– व रू.43,059/–** की वसूली पर रोक लगाई जाने की प्रार्थना की गई। अपीलार्थी के अभिभाषक श्री पी.एम.चोपड़ा एवं विभाग की ओर से उप–राजकीय अधिवक्ता श्री डी.पी.ओझा बहस हेतु दिनांक 21.11.2014 को उपस्थित हुये । बहस सुनी जाकर रोक आवेदन पत्रों पर निर्णय पारित किया जा रहा है । उभय पक्षीय बहस पर मनन किया गया व हस्तगत प्रकरणों के संबंध में दोनों अवर अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों का अध्ययन करने के पश्चात् यह विदित होता है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रोक आवेदन पत्रों को आंशिक रूप से स्वीकार करने के पश्चात् वसूली योग्य मांग राशि रू.17,419/–, रू.11,435/– व रू.19,642/– रहती है। जिसके पश्चात् यह पीठ इस निष्कर्ष पर पहुँची है कि हस्तगत प्रकरणों में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 के नियम 48 के तहत् अपीलार्थी व्यवहारी को सुनवायी को उचित अवसर प्रदान किये जाने अथवा नहीं दिये जाने का महत्वपूर्ण व सारभूत बिन्दु विचारणीय है। अतः अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत रोक आवेदन पत्र स्वीकार किये जाकर की वसूली कार्यवाही पर निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप, इस आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में पर्याप्त जमानत (adequate security) प्रस्तुत करने की दशा में अपीलीय अधिकारी के समक्ष लम्बित **अपील के निर्णय अथवा 3 माह, जो भी पहले हो, तक रोक लगायी जाती है । रोक आदेश की पालना के अभाव में उक्त स्वतः ही निष्प्रभावी हो जायेगा। इस संबंध में अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उक्त आदेश प्राप्ति के 3 माह में अपील का गुणावगुण पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें।** अपील का निस्तारण उपर्युक्तानुसार किया जाता है। 25.11.2014 (मदन लाल) सदस्य	